Entry

[illegible] अंचल अधिकारी का कार्यालय, [illegible]

जमाबंदी रद्द अभिलेख वाद सं० – 215 / 2016-17

विषय – बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा [illegible] के तहत [illegible] के संबंध में।

नोटिस तामिला हेतु [illegible]

[illegible] के पत्रांक [illegible] दिनांक [illegible] 2013 [illegible] मद सं० 3–भू०स०(बंदो०)–119/85/2308/रा० दिनांक 23.09.1985 एवं [illegible] पत्रांक सं० [illegible] दिनांक [illegible] में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की अवैध रूप से की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि –

मौजा [illegible] खाता सं० 182 ज.न. 134 खेसरा सं० 62 [illegible] रकबा 0.99 एकड़ भूमि जो गैरमजरुआ खास [illegible] सरकार के [illegible] भूमि है जिसकी जमाबंदी [illegible] जमाबंदी रैयत [illegible] के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि [illegible] अवैध जमाबंदी का [illegible] प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन [illegible] उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध [illegible] के आधार पर/अवैध [illegible] के आधार पर/[illegible] के आधार पर कायम की गई है जिसका उद्देश्य निजी लाभ [illegible] प्रतीत होता है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमाबंदी [illegible] अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (आरक्षण) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा [illegible] के तहत [illegible] आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस [illegible] के संबंधित [illegible] दस्तावेजों/[illegible] की मांग कर [illegible] कि क्यों [illegible] अवैध [illegible] बिहार (आरक्षण) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा [illegible] के तहत [illegible] रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलेख दिनांक [illegible] को उपस्थापित करें।

[illegible] एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

[illegible]

अंचल अधिकारी

[illegible]

9/8/16	अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिश तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ। जमाबन्दी रैयत से वंशज द्वारा न्यायलय में उपस्थित होकर लगान रशीद/दलील/~~खतियान~~ एवं अन्य कागजात की छाया प्रति समर्पित किये हैं। परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त भूमि से संबंधित किसी सक्षम पदाकिधरी का आदेश एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति समर्पित नहीं किया गया है, जो उनकी दावे की पुष्टि करता हो। अतः ऐसी परिस्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर उक्त जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है अग्रेतर कार्रवाई हेतू अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता धनबाद को भेजे। 9/8/16 अंचल अधिकारी, बलियापुर।	

अंचल अधिकारी का कार्यालय [illegible]पुर

वाद अभिलेख संख्या– 215 /2016 (अन्तर्गत धारा–4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम..

सुधीराम मंडल, पिता गणेशराम मंडल,

[illegible]

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि [illegible] थाना नं० 182 खाता नं०– 62 खेसरा नं०– .... रकबा 0.11 एकड़ [illegible] आपके नाम से हo नं० [illegible] के पंजी–II भाग ...... के पृष्ठ .... पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से [illegible] प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक– 9/8/16 को [illegible] पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न–I, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, पूर्ववर्ती जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत लगान रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के [illegible] प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

स्पष्ट रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए [illegible] कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

अंचल अधिकारी
[illegible]पुर

तिथि–

मुहर

स्थान–

[illegible]C:\Users\HP\Desktop\[illegible]

नोटिस तामिला किया
[illegible]
06/8/16